

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-12, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-15630/2026

CNR No UPBB040156342026

नाम अभियुक्तगण- सोहन लाल पुत्र रामसागर, मनीष पुत्र सोहन लाल, रवीन्द्र कुमार उर्फ बिन्दू पुत्र जागेश्वर, अभिषेक पुत्र राजेन्द्र एवं राजेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र निवासीगण-ग्राम मौजा मजरे रमसहाय थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

अंतर्गत धारा- 3(5), 115(2), 117(2), 352 B.N.S.

थाना- बदोसराय, बाराबंकी।

मु०अ० सं०-200/2025

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक-13.04.2026

अभियुक्तगण सोहन लाल पुत्र रामसागर, मनीष पुत्र सोहन लाल, रवीन्द्र कुमार उर्फ बिन्दू पुत्र जागेश्वर, अभिषेक पुत्र राजेन्द्र एवं राजेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र की ओर से मु०अ० सं० 200/2025 धारा 3(5), 115(2), 117(2), 352 B.N.S., थाना- बदोसराय, बाराबंकी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें झूठा व रंजिशन फँसाया गया है।

सुना व अवलोकन किया।

अभियुक्तगण आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले में आरोप पत्र प्राप्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा रुपये 20,000/- 20,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि की एक-एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक-13.04.2026

(सक्षम द्विवेदी)

प्रभारी ए.सी.जे.एम-12, बाराबंकी।